अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत सन्दर्भित वाद संख्या – 194 /2013–14

श्रीमति चुनमा देवी बनाम रामऔतार ठाकुर एवं 03 अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित

अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित किया गया, अवलोकन किया।

प्रस्तुत वाद जिला जन शिकायत कोषांग के माध्यम से प्राप्त आवेदिका चुनमा देवी पति– जगदीश शर्मा ग्राम– डीहटोला बस्तवारा द्वारा समाहर्त्ता महोदय, दरभंगा को दिनांक 30.05.2013 को दिए गए परिवाद पत्र के आधार पर दिनांक 05.06.2013 को प्रारम्भ की गई है। इस वाद में विपक्षी के रूप में (1) रामऔतार ठाकुर पिता– स्व0 महादेव ठाकुर (2) अर्जुन ठाकुर (3) अरूण ठाकुर (4) धर्मेन्द्र ठाकुर तीनों पिता– रामऔतार ठाकुर ग्राम– डीहटोल बस्तवारा है तथा विवाद के अन्तर्गत मौजा– बस्तवारा थाना नं0– 132 में अवस्थित अद्योलिखित ब्योरे की भूमि है जिसे आवेदिका के पति जगदीश शर्मा के द्वारा दिनांक 30.05.06 एवं 25.07.06 को दो निबंधित बयनामा द्वारा रामअशीष ठाकुर पिता– स्व0 महादेव ठाकुर मौजा– बस्तवारा से हासिल किया है जिसकी जमाबन्दी सं0– 1233 जगदीश शर्मा के नाम चलती है :–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
		बी0–क0–धुर	
20	817 पु0	00–04–05	उत्तर– कबुरगाह
	1588 नया		दक्षिण– सड़क
	818 पु0		पूरब– पोखरा
85	1589 नया		पश्चिम– कबुरगाह

आवेदिका के स्वच्छ वाद पत्र दिनांक 16.08.2013 के अनुसार इनके पति नेपाल में रहकर मजदुरी करते हैं और विपक्षीयों ने आवेदिका के पति के नाम खरीदगी भूमि में से 18 धुर भूमि पर बांस बला गारकर छप्पर चढ़ाकर कब्जा कर लिया है जिस 18 धुर के उतर– कबुरगाह पोखर का भिण्डा द0– वादी पूरब– पोखर का भीण्डा पश्चिम– वादी है आवेदिका ने अपने हकियत की घोषणा करते हुए

18/08/14

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	उसपर कब्जा दिलाने का अनुरोध किया है। विपक्षी ने आवेदिका के वाद को dismiss करने के अनुरोध के साथ उल्लेख किया है कि प्रश्नगत भूमि संयुक्त परिवार (आवेदिका एवं विपक्षी) की भूमि है तथा दिनांक 14.07.09 को रामश्रेष्ठ ठाकुर ने प्रश्नगत खेसरा की 01. कट्ठा 08 धुर रामऔतार ठाकुर को बयनामा किया है। विपक्षी का कहना है कि महादेव ठाकुर अपने चार पुत्र (1) रामश्रेष्ठ ठाकुर (2) रामऔतार ठाकुर (3) रामाशिष ठाकुर एवं (4) जगदीश ठाकुर को छोड़कर मरे तदुपरान्त रामश्रेष्ठ ठाकुर परिवाद के कर्त्ता हुए। प्रश्नगत भूमि पर पक्का का आवासीय घर है जिसमें विपक्षीगण रहते हैं। विपक्षी ने यह भी कहा है कि आवेदिका ने जगदीश ठाकुर की actual wife है को proof नहीं किया है इसलिए इस वाद को खारिज किया जाय। उभय पक्षों कि विद्वान अधिवक्ता को सुना। विदित होता है कि चुँकि आवेदिका के पति जगदीश शर्मा नेपाल में रहकर मजदुरी करते हैं इसलिए आवेदिका ने अपने पति के नाम खरीदगी भूमि पर विपक्षी द्वारा कब्जा कर लेने के कारण वाद लाया गया है जो सही है एवं इसमें जगदीश ठाकुर की पत्नी आवेदिका है या नहीं Proof करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चुँकि स्वयं विपक्षी ने भी माना है कि आवेदिका एवं विपक्षी की प्रश्नगत भूमि संयुक्त परिवार की सम्पति है जिससे यह प्रमाणित होता है कि आवेदिका जगदीश ठाकुर की पत्नी है जिन्हें पति के अनुपस्थिति में वाद प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज दि0– 30.05.2006 से विदित होता है कि खाता नं0– 20, खेसरा नं0– 817/1588 पु0 एवं खाता नं0– 85 खेसरा नं0– 818/1589 पुराना की मी0 रकवा 01 कट्ठा 08 धुर आवासीय परती वो दरख्तान जिसे विक्रेता रामअशीष ठाकुर ने खुद अपने नाम दस्तावेज सं0– 13711 दिनांक 29.07.1975 द्वारा मो0 हुसैन वगैरह से हासिल किया था को आवेदिका के पति जगदीश शर्मा को बयनामा किया तथा जरसेमन पाकर दखल कब्जा सौंप दिया। ठीक उसी प्रकार उक्त खाता खेसरा की 02 कट्ठा 16 धुर दो फसला कृषि योग्य भूमि विक्रेता रामअशीष ठाकुर ने जगदीश ठाकुर को बयनामा किया जिसकी दाखिल खारिज होकर जगदीश शर्मा के	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, ता,रीख–सहित
	नाम 04 कट्ठा 04 धुर भूमि की जमाबन्दी सं0–1233 चलती है जिसपर आवेदिका का दावा (अपने पति की अनुपस्थिति में) एवं हकियत प्रमाणित होता है। साथ हीं विपक्षी द्वारा प्रस्तुत बयनामा दिनांक 14.07.09 के मजमून के आधार पर विपक्षी का दावा प्रमाणित नहीं होता है। चूँकि उक्त बयनामा के आधार पर विपक्षी के नाम कोई जमाबन्दी नहीं चलती है, क्योंकि प्रश्नगत भूमि वर्ष 2006 में हीं आवेदिका के पति को बयनामा द्वारा हासिल है तथा उसकी जमाबन्दी कायम हो चुकी है। अर्थात विपक्षी को प्राप्त बयनामा का अमल दरामद नहीं होना विदित होता है। अतः विपक्षीयों को आदेश दिया जाता है कि आवेदिका के पति के नाम एवं हकियत वाली प्रश्नगत भूमि पर से अपना नाजायज कब्जा हटा लें और उसपर आवेदिका को कब्जा सौंप दे और भविष्य में आवेदिका के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें। आदेश की प्रति थानाध्यक्ष सिमरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ भेजें। **लेखापित एव शुद्धित** 31/08/14 **भू0 सु0 उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा** 31/08/14 **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।**	